



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-40

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273030 दिनांक 20/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Priyanka Devedwal W/o KEDAR PRASAD MEENA	श्री शशि भूषण जैन पुत्र श्री जगन प्रसाद जैन	110	200.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block-H	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या एच-110 क्षेत्रफल 200.00 व.मी. का आवंटन पत्र 15.05.2006 को श्री शशि भूषण जैन पुत्र श्री जगन प्रसाद जैन के पक्ष में जारी किया गया एवं कब्जा पत्र दिनांक 20.05.2013 को एवं लीजडीड 06.06.2013 को जारी की गई है। श्री शशि भूषण जैन पुत्र श्री जगन प्रसाद जैन द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा बेचान दिनांक 13.10.2023 को श्रीमती राजंती मीणा पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मीणा को किया गया। तत्पश्चात श्रीमती राजंती



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मीणा पत्नी श्री
जगदीश प्रसाद
मीणा द्वारा उक्त
भूखण्ड का बेचान
दिनांक
24.09.2025 को
सुश्री प्रियंका
देवडवाल पुत्री श्री
राम दयाल मीणा
को रजिस्ट्रर
विक्रय पत्र द्वारा
बेचान किया गया।
सुश्री प्रियंका
देवडवाल पुत्री श्री
राम दयाल मीणा
द्वारा लीजहोल्ड
से फ्रीहोल्ड पट्टा
जारी करने हेतु
प्रकरण प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Priyanka Devedwal W/o KEDAR PRASAD MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |